न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 182/17 निर्णय दिनांकः 25-10-17

भगवानाराम पुत्र हेतराम जाति बिश्नोई निवासी बनिया तहसील नोखा जिला बीकानेर

अपीलांट

—बनाम—

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 30—05—2017
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितिः—
1. श्री कृष्ण बेनीवाल, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियाँ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 30—05—2017 जिसके द्वारा अपीलांट को भूमिहीन आवंटन प्रार्थना पत्र पर मोहरबंद श्रेणी का रकबा होने के कारण खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 38 डीओडीडी (आर) के मुरब्बा नम्बर 60/1 में 24 बीघा भूमि आवंटन की गई। अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला क्योंकि उक्त भूमि मोहरबंद गजट में आरक्षित भूमि थी। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। राज्य

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे।

चूंकि अपीलांट बतौर भूमिहीन आवंटन प्रार्थना पत्र पर मोहरबंद गजट हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन कर दिया गया। इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट को आवंटित भूमि मोहरबन्द गजट में आरक्षित होने के कारण अन्य को आवंटित हो चकी है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर चक 38 डीओडीडी (आर) के मुरब्बा नम्बर 60/1 में 24 बीघा भूमि आवंटन की गई। अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला ना ही अपीलांट के आवंटन का रिकार्ड में अंकन नहीं किया गया क्योंकि उक्त भूमि मोहरबंद गजट में आरक्षित भूमि थी। उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 30–5–2017 अनुसार ''उक्त भूमि मोहरबन्द गजट में आशाराम पुत्र गणपतराम को आवंटित है। अतः प्रार्थी भगवानाराम को पूर्व में दिनांक 24–05–2003 को चक 38 डीओडीडी(आर) के मुरब्बा नम्बर 60/1 की 24 बीघा अनकमाण्ड भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।''

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(2) प्रकरण में आवेदक आवंटी को आवंटन सहालकार समिति द्वारा आवंटन किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष आवंटन योग्य भूमियों व श्रेणी तथा वर्गीकरण का विवरण विभागिय कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध कराया गया उपधारित है। आवंटी को आवंटन सलाहकार समिति व अध्यक्ष आवंटन अधिकारी की अनुशंसा

के बाद जॉच ही सामान्य/भूमिहीन श्रेणी में भूमि का पात्र मानते हुए आराजी जैर का आवंटन दिनांक 24-05-2003 को किया गया है।

(3) अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा भूमि का कब्जा हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाते रहे व कार्यालय में चक्कर लगाने के बाद वर्ष 2017 में यकायक ज्ञात होता है कि उक्त भूमि विशेष श्रेणी की है, सामान्य आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है, तथा उक्त भूमि मोहरबन्द गजट में आशाराम पुत्र गणपतराम को आवंटनशुदा है। इसलिए अपीलांट को सामान्य श्रेणी में आवंटित उक्त भूमि निरस्त की जाती है। यह एक घोर अन्याय व विभागीय लापरवाही का उदाहरण है।

(4) प्रकरण में आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आवंटी को नहीं दिया जा सकता। अपीलांट की बतौर भूमिहीन पात्रता आज दिनांक तक कायम है। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट का आवंटन निरस्त किया गया है।

(5) अपीलांट का आवंटन बतौर भूमिहीन के बजाय मोहरबन्द श्रेणी की भूमि का किया जाना साबित है। अपीलांट का आवंटन आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया गया तथा अपीलांट की पात्रता कायम है। चूंकि अपीलांट को मोहरबन्द गजट हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन कर दिया गया। इसलिए अपीलांट अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

7. अतः पैरा संख्या 6 के बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 30-05-2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता अनुसार भूमिहीन श्रेणी की भूमि अन्यत्र आवंटन की कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 25-10-17 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर